रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--23 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—23

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28102023-249768
CG-DL-W-28102023-249768

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28—नवम्बर 3, 2023 (कार्तिक 6, 1945)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2023 (KARTIKA 6, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	633
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	977
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2291
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2103
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	183
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	3879
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	633
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	977
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2291
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2103
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3879
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2023

सं. 9/6/2020-यू3 (ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, सर जे जे यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई जिसमें (i) सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, फोर्ट, मुंबई; (ii) सर जे.जे. आर्किटेक्चर कॉलेज, फोर्ट, मुंबई; और (iii) सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट, फोर्ट मुंबई नामक तीन संस्थान शामिल हैं, को डी-नोवो श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए दिनांक 19.03.2020 को यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. और जबकि, इस मंत्रालय के दिनांक 12.11.2020 के पत्र के माध्यम से यूजीसी से अनुरोध किया गया था कि वह यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के तहत आवेदन की जांच करे और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत करे।

4. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 14.07.2021 के अपने पत्र संख्या 30-2/2019 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी। संपूर्ण मूल्यांकन के बाद, समिति ने ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कतिपय शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की:

i. समकालीन कला पद्धति विभाग (समकालीन कला पद्धतियों में एम.एफ.ए.)

ii. महानगरीय वास्तुकला विभाग (महानगरीय वास्तुशिल्प में एम. आर्क)

iii. टाइपोग्राफी और टायर डिजाइन विभाग (टाइपोग्राफी और टाइप डिजाइन में एम. डेस.)

iv. कम्यूनिकेशन और एक्सपिरियन्स डिजाइन विभाग (कम्यूनिकेशन और एक्सपिरियन्स डिजाइन में एम. डेस.)

v. कला, वास्तुकला और डिजाइन शिक्षा विभाग (कला शिक्षा में एम.एफ.ए., वास्तुकला शिक्षा में एम. आर्क., डिजाइन शिक्षा में एम. डेस.)

5. और इसके बाद जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा 01.07.2021 को आयोजित अपनी 551वीं बैठक (मद संख्या 2.02) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने तीन वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए सर जे जे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मुंबई को 27.10.2021 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

i. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय का नाम यूजीसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बदलना होगा। सम विश्वविद्यालय अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी)' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते;

ii. एक अलग और समर्पित सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार नए नाम से पंजीकृत किया जाना होगा;

iii. संस्थानों की सभी परिसंपत्तियों को नए नाम पर अंतरित करना होगा;

iv. संस्थान को उभरते क्षेत्रों में उपर्युक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे;

v. संस्थान अपेक्षित योग्यता रखने वाले पर्याप्त संकाय की भर्ती करेगा;

vi. संस्थान प्रस्तावित विभागों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करेगा;

vii. संस्थान संशोधित डीपीआर, कार्यनीतिक विजन प्लान और रोलिंग कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करेगा;

viii. संस्थान यूजीसी विनियम, 2019 के अनुरूप अपना एमओए/नियम तैयार करेगा;

ix. संस्थान अपने संबद्ध विश्वविद्यालय के इस आशय का (के) पत्र प्रस्तुत करेंगे कि मौजूदा छात्र विश्वविद्यालय में ही नामांकित रहेंगे।

6. और जबकि, संस्थान ने दिनांक 22.08.2023 के अपने पत्र संख्या ओएनओ /एसजेजेएसएएडीएफ़/2023-24/7 के माध्यम से दिनांक 27.10.2021 के आशय पत्र (एलओआई) में निर्धारित शर्तों के अनुरूप अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को सत्यापन और सलाह के लिए 30.08.2023 को यूजीसी को भेजा गया था।

7. और इसके बाद जबकि, यूजीसी ने दिनांक 16.10.2023 के पत्र संख्या 30-2/2019 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश करने वाली समिति ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। आयोग ने 16.10.2023 को आयोजित अपनी 573वीं बैठक (मद संख्या 2.02) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

8. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह पर, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई जिसमें (i) सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, फोर्ट, मुंबई; (ii) सर जे.जे. आर्किटेक्चर कॉलेज, फोर्ट, मुंबई; और (iii) सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट, फोर्ट मुंबई शामिल हैं, को पांच वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए डी-नोवो श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के भीतर यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का अनुपालन करेगा;

ii. सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, फोर्ट मुंबई; सर जे.जे. आर्किटेक्चर कॉलेज, फोर्ट मुंबई; और सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट, फोर्ट मुंबई अपने संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात मुंबई विश्वविद्यालय से स्वयं को असंबद्ध कर लेंगे।

iii. इस अधिसूचना के बाद प्रवेश पाने वाले छात्रों को सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मुंबई से डिग्री मिलेगी।

iv. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मुंबई' के सम-विश्वविद्यालय दर्जे की पुष्टि मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनकी समीक्षा और आयोग की सलाह के आधार पर पांच वर्ष बाद की जाएगी।

v. इस अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर संपूर्ण चल और अचल संपत्ति विधिक रूप से 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' के नाम पर स्थानांतरित कर दी जाएगी।

vi. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम-विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

vii. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

viii. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' में प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

ix. सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मुंबई इस विषय पर यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस शुरू करेगा।

x. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मुंबई' अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और अभिनव शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगा। संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह यूजीसी विनियमों/ दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने का प्रयास करेगा।

xi. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए मूल्यांकित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और संस्थान को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करनी होगी।

xii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की शुरुआत आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेगी और 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' द्वारा इसका पालन किया जाएगा।

xiii. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मुंबई' जून, 2024 तक यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियम प्रस्तुत करेगा। जब कभी आवश्यक हो, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतन या संशोधित करेगा।

xiv. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' यूजीसी और प्रासंगिक सांविधिक परिषदों के नियम और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xv. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xvi. 'सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, मुंबई' को अनिवार्य रूप से क्रेडिट्स अकादमिक बैंक (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करना और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर दिखाई दे और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th October 2023

No. 9/6/2020-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, an online application dated 19.03.2020 was submitted on the UGC Portal for conferment of Institution deemed to be University status under de-novo category to Sir J J University of Art, Architecture and Design, Mumbai consisting of the three Institutions namely (i) Sir J.J. School of Art, Fort, Mumbai; Sir J.J. College of Architecture, Fort, Mumbai; and (iii) Sir J. J. Institute of Applied Art, Fort Mumbai.

3. And whereas, the UGC was requested vide this Ministry's letter dated 12.11.2020 to examine the application under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and furnish its advice to this Ministry.

4. And whereas, UGC, vide its letter No.30-2/2019 (CPP-I/DU) dated 14.07.2021 informed that the proposal was examined through an Expert Committee. After overall assessment, the Committee recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) with certain conditions keeping in view the following proposed courses are in unique and emerging areas of knowledge:

i. Department of Contemporary Art Practices (M.F.A. in Contemporary Art Practices)

ii. Department of Metropolitan Architecture (M. Arch in Metropolitan Architecture)

iii. Department of Typography and Tyre Design (M. Des. In Typography and Type Design)

iv. Department of Communication and Experience Design (M. Des. In Communication & Experience Design)

v. Department of Art, Architecture and Design Education (M.F.A. in Art Education, M. Arch. In Architectural Education, M. Des. In Design Education)

5. And further whereas, the recommendation of the UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 551st meeting (item No. 2.02) held on 01.07.2021. Considering the advice of UGC, the Ministry issued Letter to Intent (LoI) on 27.10.2021 to Sir J J University of Art, Architecture and Design, Mumbai for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

i. The proposed Deemed to be University needs to be renamed in accordance with the provisions under UGC Act. The Deemed to be Universities cannot use the word 'University' with their name;

ii. A separate and dedicated Society/Trust/Company needs to be registered in the new name in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019;

iii. The entire assets of the Institutions need to be transferred in new name;

iv. The Institute needs to prepare detailed syllabi for the courses proposed above in the emerging areas;

v. The Institute shall recruit adequate faculty with the requisite qualifications;

vi. The Institute shall create necessary infrastructure for the proposed Departments;

vii. The Institution shall submit revised DPR, Strategic vision Plan and Rolling implementation plan;

viii. The Institution shall prepare its MoA/Rules in accordance with the UGC Regulations, 2019;

ix. The Institutions shall submit letter(s) of their affiliating University to the effect that the existing students will continue to be enrolled with the University.

6. And whereas, the Institution, vide its letter No. ONO/SJJSAADF/2023-24/7 dated 22.08.2023 submitted compliance report vis-a-vis conditions stipulated in the LoI dated 27.10.2021. The compliance report of the Institution was sent to UGC on 30.08.2023 for its verification and advice.

7. And further whereas, UGC, vide letter No.30-2/2019 (CPP-I/DU) dated 16.10.2023 conveyed that the same Expert Committee, which had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI), has accepted the compliance report of the Institution. The Commission in its 573rd meeting (Item No.2.02) held on 16.10.2023 considered and accepted the report of the UGC Expert Committee.

8. Now, therefore, on the advice of the UGC, the Ministry of Education, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declares Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai consisting of (i) Sir J.J. School of Art, Fort, Mumbai; (ii) Sir J.J. College of Architecture, Fort, Mumbai; and (iii) Sir J.J. Institute of Applied Art, Fort Mumbai as an Institution Deemed to be University under de-novo category for an initial period of five years. The said declaration is subject to the following conditions:

i. Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai shall become compliant with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 within a period of six years from the date of issuance of this Notification;

ii. Sir J. J. School of Art, Fort Mumbai; Sir J.J. College of Architecture, Fort Mumbai; and Sir J.J. Institute of Applied Art, Fort Mumbai shall disaffiliate themselves from their affiliating University i.e. University of Mumbai.

iii. The students admitted after this Notification will get Degree from Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai.

iv. The deemed to be University status of 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall be confirmed after five years based on their review and advice of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.

v. The entire moveable & immoveable assets will be legally transferred in the name of 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' within one year of this Notification.

vi. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

vii. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

viii. The academic programmes to be offered at 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

ix. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

x. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavor to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.

xi. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

xii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai'.

xiii. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/ Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 by June, 2024. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xiv. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xv. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xvi. 'Sir J J School of Art, Architecture & Design, Mumbai' shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz Mohan